

उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्ती है। फ्रीक्सीफेनाइड-ग्रेटाजोल ग्लाइबेनक्लेमाइड, बिटाग्लिन-सी आदि के लिये गैर सरकारी क्षेत्र में भी पर्याप्त क्षमता का सृजन किया गया है।

वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान एम्पीसिलीन, सल्फा मेथोक्साजोल डिलोक्सामाइड फ्लोएट बनारफेनिराया-इन सी एड, कैल्सियम वैन्थोथे नेड, एयाम्बु-टोल, फसोमाइड और गइट्राफिरेन जैसे आवश्यक औषधों का उत्पादन भी देश में प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः यह देखा गया है कि देश में औषधों और भेषजों के क्षेत्र में प्रारम्भ निर्भरता निरन्तर बढ़ती जा रही है। तथापि औषध उद्योग का स्वरूप इस प्रकार का है कि इसकी बहुत सी मदों का प्रचलन कुछ समय के बाद बन्द हो जाता है और औषधों की नई मदों के विकास के लिए निरन्तर सतर्क रहना पड़ता है। तथापि नई औषधों का विकास करने की दृष्टि में देश में अनुसंधान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ताकि देश में औषधों के विवेकपूर्ण तरीके से विकास किया जा सके और जहाँ तक संभव हो आयात पर निर्भर रहने की स्थिति को टाला जा सके।

औषधों और भेषजों के उत्पादन में रसायनिक कच्चा माल/मध्यवर्ती पदार्थों की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। औषध और उद्योग द्वारा अपेक्षित विभिन्न कच्चे माल मध्यवर्ती पदार्थों को उपलब्धता की वर्तमान स्थिति और प्राथमिक संचालनाओं के बारे में औषध और भोज उद्योग पर गठित समिति की रिपोर्ट के अन्वये 6 में विस्तार से विचार किया गया है। जिसकी एक प्रति 8-5-1975 को मन्त्र पटल पर प्रस्तुत की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण/आवश्यक प्रमुख औषधों के नाम अत्रिणा अथवा भी आशिक सञ्चालन पूर्ण करने का अति महत्वपूर्ण पदार्थों के अभाव पर निर्माण किया जा रहा है, इस प्रकार है :-

क्लोरोफैमीकोल एरिथ्रोमाइसिन,
एम्पीसिलीन, क्लोरोक्विन, फोस्फेट, एथा-

म्यूटोल एच० सी० एल० मैट्रोनिडाजोल,
क्लोरोप्रोपामाइड, सल्फा मेथोक्साजोल
आदि।

Change in Colour of Taj Mahal Marble

2005 SHRI KRISHNA KUMAR
GOYAL:
SHRI MUKHTIAR SINGH
MALIK:
SHRI G. M BANATWALI.A:
SHRI SKARIAH THOMAS.

Will the Minister of PETROLEUM,
CHEMICALS AND FERTILIZERS be
pleased to state:

(a) whether adequate steps have
been taken to save Taj Mahal marble
changing colour or losing its pristine
whiteness with the increasing air
pollution around Agra and coming up
of the Oil Refinery at Mathura, and

(b) if so, the broad outlines
thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM,
CHEMICALS AND FERTILIZERS
(SHRI H. N. BAHUGUNA). (a) and
(b) Apprehensions have been ex-
pressed from time to time about the
possible adverse effects of the gaseous
effluents from the Mathura Re-
finery, expected to be commissioned in
April, 1980, on the monuments at
Agra. To advise the project autho-
rities on the measures to be taken
for keeping the pollution effect to the
absolute minimum, an Expert Com-
mittee was constituted in July 1974
with Dr. S. Varadarajan as Chairman
and representatives of the Ministry
of Petroleum, India Meteorological
Department, National Committee on
Environmental Planning and Coordi-
nation, National Environmental En-
gineering Research Institute, Indian
Institute of Petroleum, Indian Oil
Corporation and Government of Uttar
Pradesh as members. A representa-

tive of Archeological Survey of India was also made a member in December 1975

2 Since much work has been carried out in Italy on the effect of sulphur-dioxide on monuments, IOC entered into an agreement in 1974 with M/s Tecneco an Italian firm which is a subsidiary of Government owned ENI Group to undertake the following studies

- (i) On the basis of meteorological data for the last ten years in the Mathura-Agra region to calculate the ground level concentration of effluents, (particularly sulphur dioxide) in the Mathura-Agra region on account of emission from the Mathura Refinery
- (ii) Determination of the existing level of pollution in the Agra region by measurement over a period of six months
- (iii) Determination of the present status of preservation of monuments and also the permissible concentration of effluents from the point of view of their preservation

Reports have since been submitted by M/s Tecneco to Indian Oil Corporation. These will be considered by the Expert Committee, and necessary action will be taken by Government after receiving the recommendations of the Expert Committee

3 On the basis of data available so far as a result of investigations and studies, it appears that the contribution by the Refinery to the atmospheric pollution even under the most adverse meteorological conditions would be minimum at Agra which is about 40 KM away from the Refinery, and at such a low level as would not cause any concern about its effect on the white marble of Taj Mahal.

राज्य ध्यापार नियम द्वारा क्लोरोक्वीन फास्फेट का मूल्य निर्धारित करना

2006 बी ईडब्लू बीबीरो क्या पैट्रो-लियम तथा रसायन और उबरक मशी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्य ध्यापार नियम ने क्लोरोक्वीन फास्फेट का मूल्य 202 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था, फिर मार्च, 1976 में 276 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था और इसको रिलीज किया था तो उस समय 400 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया, और

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रस बन और उबरक मशी (बी) हेमबनी मन्डन बहुगुणा (क) और (ख) राज्य ध्यापार नियम द्वारा प्रायतित क्लोरोक्वीन फास्फेट का मूल्य 29 मई, 1974 को सरकार द्वारा 202 84 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था। 1976 के प्रारम्भ तक देशी उत्पादन की पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो गया था। स्वदेशी निर्मित क्लोरोक्वीन फास्फेट की लागत प्रायतित लागत से अधिक थी। सभी मूल्यों की निर्माताओं को समान मूल्य पर क्लोरोक्वीन फास्फेट उपलब्ध कराने के विचार से देशी उत्पादन तथा स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा प्रायतित सामूहिक (ग्लूड) मूल्य 8 मार्च, 1976 से 276 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था। 1976-77 के बजट के प्रस्तुत किये जाने पर 15 मार्च, 1976 से क्लोरोक्वीन फास्फेट पर सीमा शुल्क में वृद्धि 32 5% से 75% फ्या मूल्य की गई थी। सीमा शुल्क में वृद्धि के कलस्वरूप 17 अप्रैल, 1976 से ग्लूड मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम पुनर्निर्धारित किया गया। उपरोक्त मूल्य शीघ्र (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत समय समय पर निर्धारित किये गये हैं।